न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी डॉ0 प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 615/2025

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. महेंद्रकुमार पुत्र श्री प्रतापराम, 2. विशाल पुत्र श्री लादूराम 3. रमेश कुमार पुत्र श्री भीमाराम जाति–मारू कुम्हार, निवासीगण बिरामी, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज)		1. जिला कलेक्टर, पाली 2. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, सुमेरपुर, जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश जो जिला कलेक्टर, पाली के द्वारा आदेश क्रमांक एफ.12(3) (111)राज/24/2063 दिनांक 10–03–2024 को पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री रामलाल भाटी, विद्वान अधिवक्तागण, अपीलकर्ता की ओर से।
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेण्ट्स की ओर से।

:: **निर्णय** ::

दिनांक 27 मई, 2025

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील पत्रावली में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ कार्यालय जिला कलेक्टर, पाली के आदेश क्रमांक एफ 12(3) (111) राज/24/2063 दिनाक 10.03.2024 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.06.2024 को प्रस्तुत की गई जो अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन से तलब किया गया।

2. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपील पेश किये जाने हेतु अनुमति प्रार्थना पत्र एवं धारा 05 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार दौरान सुनवाई यह अभिकथन किया कि जिला कलेक्टर पाली के द्वारा गांव बिरामी की ढाणी के खसरा नम्बर 620 किस्म बारानी अव्वल कुल रकबा 2.1440 हेक्टेयर मे से 1.3440 हैक्टेयर की भूमि राजकीय विभागों हेतु आरक्षित की गई है। ग्राम बिरामी की ढाणी में आवंटन की गई भूमि ग्राम से करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर हैं, उस भूमि के आस–पास किसी भी प्रकार का कोई सरकारी विभाग या गांव की कोई आबादी भूमि नही हैं। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट

संभागीय आयुक्त

को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया और रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के द्वारा जारी किये गये रिकॉर्ड के अनुसार अपीलान्ट अपीलाधीन कृषि भूमि पर काबिज थे, जिसे भौतिक रूप से कभी भी मौके से बेदखल नही किया उक्त सामलाती कृषि भूमि पर पिछले लम्बे समय से कब्जा काश्त चला आ रहा हैं, जिसके दस्तावेज भी अपीलान्ट द्वारा पेश किये गये हैं, अपीलान्ट हितबद्ध पक्षकार हैं। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 18–06–2024 को हुई, जब ग्राम पंचायत बिरामी द्वारा अपीलान्ट को जैर अपील आदेश कृषि भूमि से बेदखल करने की धमकी दिये जाने से अपीलान्ट द्वारा पाली आकर अपीलाधीन आदेश से सम्बंधित पत्रावली प्राप्त की एवम् अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की पत्रावली दिनांक 18–06–2024 को प्राप्त की गई। तत्पश्चात यह अपील न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। अतः अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे साथ ही अपील को अन्दर मियाद शुमार की जावें।

3. अपीलाण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ कार्यालय द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, वो विधि के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट व उनके पित्ता की सामलाती कृषि भूमि गांव बिरामी की ढाणी में स्थित हैं, जिसके खसरा नम्बर 619/2, 619/5 व 619 हैं। उपरोक्त कृषि भूमि के पास ही खसरा नम्बर 620, 628 की कृषि भूमि स्थित हैं, जिस पर आज दिन तक अपीलान्ट के परिवार के सदस्यों का कब्जा व काश्त हैं। सबूत के तौर पर खसरा परिवर्तनशील संवत् 2065 से 2075 वर्ष 2018 व अपीलान्ट को जारी नोटिस की प्रतियॉ अवलोकनार्थ पेश है जिन सभी उपरोक्त प्रकरणों में अपीलान्ट का शुरू से लगाकर आज दिन तक कब्जा बताया। इस बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के द्वारा अपीलान्ट को दिये गये नोटिस की फोटो प्रति पत्रावली में संलग्न हैं।

4. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया किं अधिनस्थ न्यायालय में तहसीलदार सुमेरपुर के द्वारा जिला कलेक्टर, पाली के समक्ष एक आवेदन पेश कर निवेदन किया गया था कि तहसील सुमेरपुर के गांव बिरामी की ढाणी के खसरा नम्बर 620 किस्म बारानी अव्वल कुल रकबा 2.1440 हेक्टेयर मे से 1.3440 हैक्टेयर की भूमि सरकारी कार्यालय हेतु भूमि आरक्षित किये जाने की अनुशंषा की जाती है, इस प्रकार का प्रस्ताव प्राप्त होने पर पटवारी हल्का बिरामी से रिपोर्ट तलब की गई तथा मौका फर्द बनाई जाने के बाद जिला कलेक्टर, पाली ने अपीलाधीन आदेश क्रमांकः एफ12(3)(111) राज/24/2063 दिनांक 10–03–2024 को पारित कर ग्राम बिरामी की ढाणी तहसील सुमेरपुर के खसरा नम्बर 620 रकबा 2.1440 हेक्टेयर में से 1.3440 हेक्टेयर (संलग्न नक्शा अनुसार) भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन करते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत राजकीय विभागों हेतु आरक्षित करते हुए धारा 102 क के तहत ग्राम पंचायत बिरामी के अधीन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किया गया है।

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

5. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि जिला कलेक्टर पाली को तहसीलदार सुमेरपुर के द्वारा नियम विरूद्ध मौका रिपोर्ट पेश की गई थी, पटवारी हल्का के द्वारा दिनांक 12.2.2024 को मौका फर्द में राजकीय विभागों हेतु भूमि आरक्षित करने हेतु प्रस्तावित भूमि पर मौका निरीक्षण मौतबिरानों की उपस्थिति में किये गये, मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं है एवं खाली पडी है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी न्यायालय का स्थगन एवं वाद विवाद विचारण नहीं है, अंकित किया गया है। उक्त मौका फर्द में कौन मौतबिरान उपस्थित है, उस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है। जबकि उक्त भूमि पर अपीलाण्ट के पिताजी की सामलाती कृषि भूमि में शुरू से लगाकर आज दिन तक अपीलान्ट का कब्जा काश्त हैं जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के द्वारा दिये गये नोटिस एवम् खसरा परिवर्तनशील से भी साबित हैं। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर जो प्रस्ताव पेश किया एवम् रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा पटवारी हल्का से गलत रिपोर्ट तलब की गई थी, ऐसी स्थिति में जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 10–03–2024 को पारित किया गया हैं, वह विधि के विरूद्ध एवम् तथ्यों के विपरित होने से काबिल खारिज होने योग्य हैं।

6. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि जिस भूमि का आवंटन किया जाना हैं, वह भूमि मौके पर खाली होनी चाहिये। यदि भूमि पर अतिक्रमण हो तो उसका विवरण भी अंकित करना चाहिये परन्तु उपरोक्त आवेदन पेश करते समय ऐसी जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को होते हुए भी उपरोक्त तथ्यो को छिपाते हुये आवेदन पेश किया हैं। भूमि वक्त आदेश दिनांक 10.3.2024 को मौके पर खाली नही थी, अपीलान्ट के कब्जे व काश्त में थी। अपीलाधीन आदेश के द्वारा भूमि राजकीय विभागों के लिये आवंटित की गई हैं, वह नियमो के विरूद्ध होने से काबिले खारिज हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर जिला कलेक्टर पाली द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांकः एफ12(3) (111) राज/24/2063 दिनांक 10–03–2024 को निरस्त फरमाया जावें।

7. रेस्पोडेण्ट्स सख्या 1 व 2 की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि पटवार मंडल बिरामी के राजस्व ग्राम बिरामी की ढाणी के खसरा नंबर 620 रकबा 2.1440 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल जो कि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज है। उक्त भूमि में सें 1.3440 हैक्टर भूमि को राजकीय विभागों हेतु जिला कलक्टर पाली द्वारा उनके आदेश कमांक एफ12(3)(111) राज/24/2063 दिनांक 10.03.2024 के तहत राजकीय विभागों हेतु आरक्षित की गई। उक्त आदेश दिनांक 10.03.2024 की पालना में रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2 द्वारा नामान्तकरण संख्या 703 दिनांक 10.07.2024 को दर्ज किया जा चुका है। अपीलान्ट के द्वारा अपनी अपील में उक्त भूमि पर कब्जा किया जाना उल्लेखित किया गया है, उक्त भूमि के मालिकाना हक अधिकार सम्बन्धी कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये है जिससे उक्त अपीलाधीन आदेश को चुनौती दिये जाने का अधिकार नहीं रखते है। उक्त भूमि सिवायचक दर्ज होने के आधार पर राजकीय विभागों हेतु भूमि का आवंटन किया गया है जो ग्रामीणों के उपयोग हेतु किया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश में किसी

सम्भागीय आयुक्त

प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से यथावत रखा जावें एवं अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

8. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने यह भी अभिकथन किया कि अपीलाण्ट्स राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमी के रूप में काबिज था जिसके खिलाफ राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर बेदखल किया गया था। खसरा नंबर 620 रकबा 2.1440 किस्म बा.अ. जो कि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज है। राज्य सरकार की 100 दिवस की कार्य योजना की कियान्विति में एवं भविष्य की संभावना को देखते हुए खसरा न. 620 रकबा 2.1440 में से 1.3440 है. भूमि का प्रस्ताव राजकीय विभागां हेतु भूमि आरक्षित करनें हेतु जिला कलक्टर महोदय पाली को प्रेषित किया गया। श्रीमान् जिला कलक्टर पाली द्वारा अपने आदेश कमांक एफ12(3)(111)राज/24/2063 दिनांक 10.03.24 के द्वारा 1.3440 हैक्टर राजकीय विभागों हेतु आरक्षित की। जिसकी पालना में नामान्तकरण संख्या 703 दिनांक 10.07.2024 रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2 द्वारा दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद जा चुका है। अपीलाण्ट के द्वारा यह अपील लगभग 3 माह के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है जो कि मियाद बाहर होने से निरस्त योग्य है।

9. हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि अधीनस्थ कार्यालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा उनके आदेश क्रमांक एफ12(3)(111) राज/24/2063 दिनांक 10.03.2024 के द्वारा ग्राम बिरानी की ढाणी तहसील सुमेरपुर के खसरा नंबर 620 रकबा 2.1440 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल में से 1.3440 हैक्टेयर भूमि राजकीय विभागो हेतु आरक्षित की गई है। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

10. अपीलाण्ट का मुख्य तर्क यह है कि मौजा ग्राम बिरानी की ढाणी तहसील सुमेरपुर के खसरा नंबर 620 पर अपीलाण्ट एवं उसके पिताजी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलान्ट मात्र अतिक्रमी होने एवं कब्जा काश्त किये जाने के आधार पर राजकीय भूमि को अन्य प्रयोजनार्थ आवंटन किये जाने का अधिकारी नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार, सुमेरपुर से तत्सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त किया गया। जिसमें भूमि आरक्षित किये जाने के समय वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 1 में दर्ज होने से अधीनस्थ कार्यालय द्वारा ग्राम बिरामी की ढाणी तहसील सुमेरपुर के खसरा नंबर 620 रकबा 2.1440 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल उक्त भूमि रिक्त होने/अतिक्रमण नहीं होने की रिपोर्ट तहसीलदार, सुमेरपुर के द्वारा की गई है। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही ख0सं0 620 की रकबा भूमि में से 1.3440 हैक्टेयर भूमि को राजस्थान भू–राजस्व की धारा 92 के तहत राजकीय विभागों हेतु आरक्षित की गई है। ऐसे में जिला कलेक्टर पाली के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.03.2024 में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है तथा उसमें हस्तक्षेप किया जाना

उचित नही समझते हैं। हमारे विनम्र मत के अनुसार अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किये जाने योग्य पाई जाती है।

11. अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज की जाती है तथा जिला कलेक्टर, पाली के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.3.2024 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 27 मई, 2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिमा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर